संख्या–1540 / 9–आ–6–2000–1006यू0सी0 / 99 / टी0सी0

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
2. **समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
4. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक– 31 मई, 2001

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम–1976 के प्रदेश से निरसन के उपरान्त नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय एवं नगर बस्तियों के छटनीशुदा कार्मिकों का सरकारी सेवा में आमेलन हेतु अर्हतायें एवं अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये शासन ने नगरभूमि सीमारोपण निदेशालय एवं 11 नगर बस्तियों के छटनीशुदा / छटनी होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सरकारी सेवा में आमेलन हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता प्रदान करने का निर्णय लिया हैं :–

(1) सरकारी सेवा में आमेलन हेतु केवल वे ही कर्मचारी पात्र होंगे, जो दिनांक 1.10.1986 या इसके पूर्व नगर भूमि सीमारोपण विभाग की सेवा में नियुक्त हुए हो तथा विभाग के बन्द होने की तिथि तक निरन्तर कार्यरत हों।

(2) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर ''उपयुक्तता'' के आधार पर नियुक्ति हेतु अर्हता मानी जायेगी। ऐसी सेवाओं / पदों हेतु, जिसके लिये भर्ता / चयन के निमित्त किसी सेवा नियमावली / कार्यकारी हेतु आदेश में कोई प्रक्रिया विद्यमान हो, छटनी शुदा कार्मिकों के विषय में उक्त प्रक्रिया से शिथिलता बरतते हुये ''उपयुक्तता'' के आंकलन के लिये अलग से उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों को सरकारी सेवा में आमेलन नियमावली, 1991 प्रख्यापित की गयी है।

(3) सरकारी सेवा में भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा आयु विषयक शर्ते पूरा करने वाले नगर भूमि सीमारोपण विभाग के कार्मिक ही उक्त सेवायोजन हेतु पात्र होंगे। यदि ऐसे कार्मिक नगर भूमि सीमारोपण विभाग में ऐसे पद पर नियुक्त हुए थे, जिसका कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व उस पद के समान है, जिस पद के लिये वे अब अभ्यर्थी है और अपनी नियुक्ति के समय उपरोक्त पद के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते थे, तो यह समझा जायेगा कि वे वर्तमान पद के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करते हैं।

(4) नगर भूमि सीमारोपण विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों के लिये आमेलन के समय सरकारी सेवा में पद विशेष पर लागू अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(5) सेवा में लिये जाने के दिनांक से राज्य कर्मचारियों पर लागू समस्त नियत जैसे भविष्य निर्वाह निधि, अवकाश, पेंशन आदि उन पर स्वतः लागू होंगे।

(6) उक्त सेवायोजन/आमेलन सीधी भर्ती के उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध ही किया जायेगा तथा सम्बन्धित पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारित करने विषयक लागू नीति के अनुसार उक्त सम्मेलन/सेवायोजन की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(7) नगर भूमि सीमारोपण विभाग में तैनात समूह-''ग'' एवं ''घ'' के जिन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की जायेंगी, उन सभी के नाम सेवायोजन कार्यालयों में एक अलग 'पूल' में नगर भूमि सीमारोपण विभाग में उनकी वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे और सेवायोजकों से मांग प्राप्त होने पर तद्नुसार नाम प्रेषित किये जायेंगे।

(8) इस प्रकार की नियुक्तियां करते समय आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा।

(9) नगर भूमि सीमारोपण विभाग के जो छटनीशुदा कर्मचारी/अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेना चाहेंगे उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का लाभ अनुमन्य होगा।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या : 1540(1)/9-आ-6-2000तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या : 1540(2)/9-आ-6-2000तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. गोपन अनुभाग-1 को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 4/2/17/2000 दिनांक 26, जुलाई 2000 के अनुक्रम में।
2. कार्मिक अनुभाग - 3
3. निदेशालय, नगर भूमि सीमारोपण, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या : 1540(3)/9-आ-6-2000तद्दिनांक
प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को उक्त आदेशों को विभिन्न सूचना माध्यमों से व्यापक प्रचार/प्रसार हेतु।

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव